

ग्रामीण समुदाय में सामाजिक विकास क्रान्ति के आधुनिकीकरण का संक्षिप्त मूल्यांकन

Rama Nand Dwivedi
Research Scholar
Sunrise University, Alwar
Rajasthan

Dr. Tara Singhal
Supervisor
Sunrise University, Alwar
Rajasthan

सार—

आधुनिक शिक्षा, विज्ञान और तकनीकी विकास, संचार क्रांति और राजनीतिक चेतना के अभूतपूर्व विस्तार के कारण देश के विभिन्न समुदायों और समाजों में महान परिवर्तन आये हैं। ग्रामीण भारतीय जीवन विभिन्न रूपों में बदल रहा है। ग्रामीण भारतीय समाज परम्परा और आधुनिकता में एक साथ सन्तुलन साध रहा है। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में बड़े कुशल ढंग से समायोजन कर रहा है। थोड़ी बहुत उथल-पुथल, तनावों और द्वन्दों के साथ में लोकतांत्रिक मूल्य धीरे-धीरे मजबूत हो रहे हैं। ग्रामीण समाज में चुनावी वातावरण तो उच्च जातियों तथा दलित एवं पिछड़ी जातियों में एक सीमा तक समता दिखाने लगा है।

प्रस्तावना—

समाजशास्त्रियों ने जैसे आर०के० मुखर्जी और देसाई ने यह माना है कि सामाजिक व सांस्कृतिक व्यवस्था के बीच पाये जाने वाले संघर्ष को सामाजिक परिवर्तन के लिये उत्तरदायी माना जा सकता है। इस दृष्टि से यदि हम देखेंगे तो हम पायेंगे कि आधुनिक भारत में विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन की प्रक्रिया को देखा जा सकता है। परम्परागत मूल्य चाहे वो परिवार सम्बन्धित हों या विवाह से सम्बन्धित परिवर्तन की विभिन्न प्रक्रियाओं से जैसे औद्योगिकीकरण, आधुनिकीकरण एवं नगरीकरण के प्रभाव से परिवर्तित हो रहे हैं। भारतीय समाज को एक ग्रामीण समाज के रूप में ही देखा और समझा जाना चाहिये क्योंकि देश की जनसंख्या का लगभग 70 प्रतिशत गाँव में हैं। इसलिये ग्रामीण समुदाय ही भारतीय समाज की पूर्ण तस्वीर प्रस्तुत करता है। अब ग्रामीण समाज पहले जैसा स्थिर, यथास्थिति, कट्टर, पिछड़ा, रूढ़िवादी, असभ्य और उस तरह का संतोषी समाज नहीं रहा है जैसा प्रायः मान लिया जाता रहा है। ग्रामीण समाज में बदलाव की यह प्रक्रिया विभिन्न आयामों पर चल रही है चाहे वह राजनीतिक हो, सामाजिक हो और चाहे आर्थिक या सांस्कृतिक। ग्रामीणों ने प्रत्येक क्षेत्र में अपनी गतिशीलता दर्ज करायी है। वहाँ आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण, शहरीकरण और भूमंडलीकरण जैसे प्रक्रियाओं का प्रभाव दिखाई पड़ रहा है।

गाँव अब सामाजिक इकाई ही नहीं राजनीतिक इकाई के रूप में उभर रहा है। गाँव की पुरानी अर्थव्यवस्था टूट रही है और यह परिवर्तन ग्रामीण समुदाय में बदलाव का एक पूरा दर्शन लेकर आ रहा है जो ग्रामीण समुदाय में "उपभोगवाद" के रूप में उभर रहा है जिसके परिणामस्वरूप गाँव का सरल साधारण जीवन जटिल और तनावपूर्ण बन रहा है। जैसे-जैसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बाहरी अर्थव्यवस्था से जुड़ती जा रही है। जैसे-जैसे उसका भूमण्डलीकरण होता जा रहा है उस ग्रामीण समाज का शहरीकरण होता जा रहा है पुराने मानक मूल्य बदल रहे हैं। वहाँ नये प्रकार के तनाव और द्वन्द पनप रहे हैं।

समाजशास्त्रीय महत्व—

सामाजिक विकास एक विस्तृत अवधारणा है। इसमें न केवल सामाजिक सम्बन्धों और सामाजिक संरचनाओं के विचार सम्मिलित हैं बल्कि मनोवैज्ञानिक मनोवृत्तियों, प्रेरणाओं, मूल्यों और विचारों में वृद्धि के विचार भी निहित हैं। ग्रामीण विकास देश की स्वतन्त्रता के पश्चात से ही प्रमुख समस्या के रूप में रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिये सामुदायिक विकास कार्यक्रम, पंचवर्षीय योजनायें, जवाहर रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना आदि प्रारम्भ की गई है। सामाजिक विकास को सम्भव बनाने में ये योजनायें कहाँ तक तथा कितनी दिशाओं में सफल हुई है।

सामाजिक विकास के सूचक—

समाज परिवर्तनशील है। परिवर्तन एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक सरल समाज उच्चतर व विकसित रूप प्राप्त करता है। सामाजिक विकास की परिभाषा करते हुए हाबहाऊस ने कहा कि व्यक्तियों की पारस्परिक क्रिया और एक-दूसरे के साथ सामाजिक सम्बन्धों में मनोभावों का प्रभाव पड़ता है। सामाजिक सम्बन्धों के अभाव में

सामाजिक विकास नहीं होता। सामाजिक विकास में सामाजिक प्रगति और सामाजिक अवनति दोनों ही हो सकती हैं। सामाजिक विकास में मनुष्य अपनी बुद्धि के द्वारा चारों ओर की परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करता है। सामाजिक विकास की अवधारणा को एक ओर नैतिक विकास और दूसरी ओर आर्थिक विकास के समकक्ष माना गया है जबकि वास्तव में यह दोनों से भिन्न हैं। कुछ समाजशास्त्री आर्थिक विकास को सामाजिक विकास का सूचक मानते हैं। जो देश आर्थिक दृष्टि से जितना ही पिछड़ा हुआ होता है उसे उतना ही अविकसित कहा जाता है। इस प्रकार प्राकृतिक साधनों की कमी वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान का अभाव पूंजी की कमी, पर्याप्त शिक्षा का अभाव कुशल कारीगरों की कमी और परम्परावाद इत्यादि अविकसित समाजों के लक्षण माने जाते हैं। दूसरी ओर जो देश कला-कौशल, ज्ञान-विज्ञान, शिक्षा, पूंजी, कारीगरी आदि में जितने आगे बढ़े हुए होते हैं उनके समाज को उतना ही विकसित माना जाता है। कुछ समाजशास्त्री सामाजिक समस्याओं के घटने को सामाजिक विकास का लक्षण मानते हैं जैसे अपराध गन्दी बस्तियाँ, पारिवारिक विघटन इत्यादि का घटना सामाजिक विकास का लक्षण है दूसरी ओर कुछ लक्षणों के बढ़ने जैसे साक्षरता, स्वास्थ्य का स्तर, मृत्यु दर का गिरना इत्यादि सामाजिक विकास के लक्षण माने जाते हैं। कुछ समाजशास्त्री नगरीकरण और औद्योगीकरण को सामाजिक विकास कहते हैं। इसके अतिरिक्त कई समाजशास्त्री केन्द्रित शासन प्रणाली को प्रतियोगितावादी समाज को, बहुतत्ववादी समाज को तथा अन्य समाजवादी उन्नत समाज को विकसित समाज मानते हैं। इस प्रकार आर्थिक विकास, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, जनसम्पर्क के साधन, वस्त्र, आवास, यातायात सुविधा का उपभोग सामाजिक विकास, औद्योगिक श्रमिकों का अनुपात, जन्म दर व मृत्यु दर तथा शहरीकरण को सामाजिक विकास में सम्मिलित किया गया।

सामाजिक विकास के सूचक-

1. **मकान-** तीनों चयनित 352 परिवारों के 14 कच्चे मकान हैं। 338 परिवारों के मकान पक्के तथा बने हुए हैं। पक्के मकानों में से अधिकतर मकान दो मंजिलों के बने हुए हैं तथा इन मकानों के 4 से 6 कमरे हैं। रसोईघर अलग से बने हुए हैं। कच्चे मकानों की एक मंजिले हैं और प्रत्येक मकान के लगभग 2 कमरे हैं। रसोई मकान के कमरे के अन्दर ही की जाती है।
2. **पानी-** चयनित गांव में पानी की सुविधा है तथा सभी लोग नल द्वारा पानी प्राप्त करते हैं। अब तीनों गांव में पानी के लिए हैण्डपम्प भी लग गए हैं।
3. **स्वास्थ्य सेवा-** ग्रामीण लोग अब स्वास्थ्य के प्रति जागृत हो गए हैं तथा अब देशी इलाज पर कम ध्यान दिया जाने लगा है तथा लोग अब डाक्टर के पास इलाज के लिए जाने लगे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अब जन्मदर व मृत्युदर में कमी आई है जिसका प्रमुख कारण स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध हो जाना है।
4. **शिक्षा-** तीनों चयनित गांव में मिडिल स्कूल नजदीक होने के कारण अब गांव के सभी बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। माता-पिता में भी अपने बच्चे को पढ़ाने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई है। वे अपने बच्चों को अधिक से अधिक पढ़ाना चाहते हैं।
5. **वस्त्र-** उत्तर प्रदेश के ग्रामीण लोग गर्मियों में अधिकतर सूती व सर्दियों में ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। गांव के पुरुष अधिकतर कुर्ता-पायजामा व महिलायें साड़ी और कुता-सलवार का प्रयोग करती हैं। टंड से बचने के लिये टोपी का भी प्रयोग किया जाता है।
6. **यातायात के साधन-** ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात के साधनों का विकास हुआ है। तीनों चयनित गांव में सड़कों का निर्माण हो चुका है। यातायात की सुविधा के कारण ग्रामीण लोगों का जीवन तेजी से बदल रहा है।
7. **उद्योग-** उद्योगों को पिछले दो दशकों में तेजी से विकास हुआ। जहाँ शहरों में बड़े-बड़े उद्योग लगे वही गांव में भी लकड़ी उद्योग, लोहा उद्योग, चमड़ा उद्योग, रेशम उद्योग व कम्बल और शॉल आदि बुनने के उद्योगों का विकास हुआ है।
8. **शहरीकरण-** शहरीकरण भी सामाजिक विकास का एक सूचक है। शहरों में तेजी से हो रहे औद्योगिक विकास व अन्य सुविधाओं के कारण ग्रामीण लोग रोजगार व अन्य सुविधायें जैसे स्वास्थ्य व शिक्षा आदि के लिए शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। अध्ययनकर्ता ने ग्रामीण समुदाय को ध्यान में रखकर उससे सम्बन्धित सूचकों के आधार पर सामाजिक विकास का मूल्यांकन किया है। विभिन्न क्षेत्रों में पायी जाने वाली सामाजिक विकास की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर भविष्य के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं को बनाया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त अध्ययन में निम्नलिखित पहलुओं पर विशेष रूप से व्याख्या की गई है। विवाह, परिवार, जाति प्रथा, शिक्षा, ग्रामीण स्तर पद्धति। सामाजिक विकास के सन्दर्भ में वैवाहिक कार्यों में हुए परिवर्तन का अध्ययन महत्वपूर्ण है। विगत दशकों में हुए समाजशास्त्रीय अध्ययनों से इस बात की पुष्टि हुई है कि विवाह की आयु में निरन्तर वृद्धि हुई है कपाड़िया (1990)।

प्रस्तुत अध्ययन में आदर्श वैवाहिक आयु के सन्दर्भ में उत्तरदाताओं के दृष्टिकोण को खोजने का प्रयास किया गया। सारणी 1 के विश्लेषण से स्पष्ट है कि अधिकांश उत्तरदाता (लगभग 85.23 प्रतिशत) पुरुषों के लिए आदर्श वैवाहिक आयु (21-27) वर्ष के मध्य में पक्ष में मत व्यक्त करते हैं। 21 वर्ष से कम के, पक्ष में मात्र 4.26 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अपना मत व्यक्त किया है।

तालिका संख्या 1 : विवाह की आदर्श आयु के सन्दर्भ में उत्तरदाताओं का दृष्टिकोण

क्र० सं०	आयु वर्ग वर्षों में	पुरुषों के लिए		महिलाओं के लिए	
		उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	18 से कम	—	—	09	2.55
2.	18-21 वर्ष	15	4.26	32	65.90
3.	21-24 वर्ष	228	64.78	90	25.56
4.	24-27 वर्ष	72	20.45	21	5.97
5.	27 से अधिक	37	10.51	—	—
	कुल योग	352	100.0	352	100.0

महिलाओं की आदर्श वैवाहिक आयु के सन्दर्भ में (18-21) वर्ष के मध्य, के पक्ष में 65.90 प्रतिशत तथा (21-24) वर्ष के मध्य, के पक्ष में 25.56 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अपना मत व्यक्त किया है। मात्र 2.55 प्रतिशत महिलाओं की आदर्श वैवाहिक आयु के सन्दर्भ में 18 वर्ष से कम का समर्थन करते हैं। अतः स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश के ग्रामीण समाज की मनोवृत्ति में शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता के उपरान्त ही विवाह करने के प्रति सकारात्मक परिवर्तन हुआ है। अधिकांश उत्तरदाताओं ने महिलाओं की आदर्श वैवाहिक आयु (18-24) वर्ष के मध्य तथा पुरुषों की (21-27) वर्ष के मध्य, के पक्ष में मत व्यक्त किया है। उपर्युक्त संदर्भ में इसे ग्रामीण समाज की आधुनिक मनोवृत्ति का प्रतीक माना जा सकता है। विवाह के समय उत्तरदाताओं एवं उनकी पत्नी अथवा पति की आयु को सारणी संख्या 2 में दर्शाया गया है। लगभग 42 प्रतिशत पुरुषों (उत्तरदाता) की विवाह के समय आयु 21 वर्ष से कम थी (21-27) वर्ष के मध्य लगभग 50 प्रतिशत सूचनादाताओं (पुरुषों) ने विवाह किया। 7.79 प्रतिशत पुरुषों की विवाह के समय आयु 27 से अधिक थी। तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि 27.92 प्रतिशत महिलाओं की आयु विवाह के समय 18 वर्ष से कम थी। (18-21) वर्ष के मध्य 50.65 प्रतिशत तथा (21-24) वर्ष के मध्य 12.99 प्रतिशत महिलाओं का विवाह सम्पन्न हुआ। लगभग 8 प्रतिशत महिलाओं का विवाह 24 वर्ष से अधिक आयु में सम्पन्न हुआ।

तालिका संख्या-2 : सूचनादाता युगलों के विवाह की उम्र

क्र० सं०	आयु वर्ग वर्षों में	पति की आयु		माध्यमिक	पत्नी की आयु		माध्यमिक
		उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत		उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत	
1.	18 से कम	36	11.04		86	27.92	
2.	18-21	96	31.17		156	50.65	
3.	21-24	121	39.29	21.60	40	12.99	19.31
4.	24-27	33	10.71		18	5.84	
5.	27 से अधिक	24	7.79		08	2.60	
	कुल योग	308	100		308	100	

* केवल विवाहित सूचनादाताओं को सम्मिलित किया गया है।

सारणी 4.2 के विश्लेषण से यह भी स्पष्ट है कि पुरुषों की औसत वैवाहिक आयु 21.60 वर्ष तथा महिलाओं की 19.31 वर्ष है। सन् 1954 के विशेष विवाह अधिनियम द्वारा पुरुषों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं महिलाओं की न्यूनतम वैवाहिक आयु 18 वर्ष को वैधानिक मान्यता प्राप्त है। अतः कहा जा सकता है कि उक्त सन्दर्भ में उत्तरदाताओं की मनोवृत्ति आधुनिक मूल्यों एवं मान्यताओं द्वारा प्रभावित है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि बाल विवाह निरोधक अधिनियम शारदा एक्ट 1929 तथा विशेष हिन्दू विवाह अधिनियम 1954 शिक्षा का व्यापक प्रचार एवं प्रसार परिवार के संयुक्त आकार में परिवर्तन तथा आधुनिकीकरण एवं नियोजन परिवर्तन के अन्तर्गत ग्रामीण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

कार्यक्रमों के सकारात्मक प्रभाव के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश के ग्रामीण समुदाय में बाल विवाह की प्रवृत्ति में परिवर्तन स्पष्टतः परिलक्षित हो रहा है। सामाजिक परिवर्तन के सन्दर्भ में इसे सकारात्मक प्रवृत्ति का सूचक माना जा सकता है।

निष्कर्ष

यह बात प्रायः सर्वमान्य है कि आधुनिक व्यक्ति गतिशील होता है। अतः गतिशीलता के बिना विकास की कल्पना अर्थहीन है। गतिशीलता जोखिम उठाने की प्रवृत्ति, नयी परिस्थितियों का सामना करने एवं नए अनुभव प्राप्त करने की मानसिकता है जिसे परिपेक्ष्य को विकास व आधुनिकीकरण के परिपेक्ष्य में विशेष रूप से महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। आर्थिक विकास व गतिशीलता के प्रति ग्रामीण समाज की मनोवृत्तियां विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश के ग्रामीण समुदाय में आज भी गतिशीलता जोखिम उठाने की मानसिकता एवं सभी परिस्थितियों का सामना करने तथा नए अनुभव प्राप्त करने की मानसिकता का अभाव है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. सुशीला कौशिक, वूमन्स एण्ड पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स, नई दिल्ली, विकास पब्लिशिंग हाउस : 1993
2. जी०डी० भट्ट, इमर्जिंग लीडरशिप पैटर्न इन रुरल इण्डिया, नई दिल्ली, एम०डी० पब्लिकेशंस : 1994
3. भाजचन्द्र गोस्वामी, संसदीय प्रणाली के आयाम, प्रखर जयपुर, आर०वी०एस०ए० पब्लिशर्स, पृ० 137 : 2002
4. दूबे, एस.सी., भारतीय ग्राम (हिन्दी संस्करण), वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2011
5. चौहान, इमाम सुन्दर, ग्रामीण विकास, कुरुक्षेत्र, 2004, वर्ष 50, अंक 9
6. चौधरी, डा० धीरज, ग्राम सभा का सामाजिक परिप्रेक्ष्य, कुरुक्षेत्र, 2003(मई), वर्ष 48, अंक 7
7. सिंह, योगेन्द्र, राष्ट्रीय सहारा (हस्तक्षेप), 12 अगस्त, 2000
8. मोना गुप्ता, वूमैन इन मार्डन इण्डिया, वोरा एण्ड कम्पनी पब्लिशर्स, बोम्बे, पृ० 167 : 2014
9. आर०बी० कुमार, जेण्डर इक्वालिटी एण्ड इक्विटी फॉन वूमैन एम्पॉवरमेन्ट इन इण्डिया, जर्नल पोपूलेशन एजुकेशन, पृ० 21-28 : 2001